प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 38/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Udai Raj Address: Udaipur, Bali Udaipur Raj.

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 21/05/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329050523393917 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1421963376 दिनांक 29.04.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/38/24/466–67 दिनांक 29.04.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक एडीएम/सिटी/रीडर/2024/155 दिनांक 17.05.2024 से निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसके क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 117 दिनांक 08.04.2024 को श्री उदयराम पिता रायसिंह को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

अपीलाण्ट द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त भी आज दिनांक 21.05.2024 तक प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ना ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है। अतः सूचना दिलवाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.05.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना आवेदन में सूचना ऑनलाईन चाही गई जा रही है।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना जरिये डाक प्रेषित की गई है जिसकी अपीलार्थी को प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर(शहर) को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उसके ई–मेल पते पर प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर